

Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

1

राज दिनांक तहसीलदार / नायब तहसीलदार राजस्थ श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
 अकार खनाम अवतार सिंह 5/10 कर्म सिंह राम गटिया 12BLMA

कस्त मुकदमा राज. उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं 77

सन 2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही का इतिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए। |
|---------------|---|---|
| 21/2018 | <p>पटवारी हल्का 12BLMA ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक्र नं. 12BLMA के मुरब्बा नं. $\frac{221}{416}$ के 0-506 बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री अवतार सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति राम गटिया सा. 12BLMA ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2074 फसल रबी नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 20/02/2018 को पेश है।</p> | <p>113 25/1/18</p> <p>114 25/1/18</p> |
| 20-2-18 | <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पुथक से लिखवाया गया।</p> | |

राज्य तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

वर्ष

पत्र सं० 77/18

स्थान सरकार बनाम "अमृतार सिंह" कर्म सिंह आदि रामगोटिया निर्णय दिनांक 20-2-18

प्रति कारण दिनांक 25-1-18 की धारा 22 के अन्तर्गत

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 को धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम या कार्यवाही का इतिशियल्स जज

हुकम पत्र क्रमांक दिनांक जो इस

20-2-18 आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया

पत्रवाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूंगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूंगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2074.500 में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 1282/100A का प्रतिवेदन दिनांक 25.1.18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अमृतार सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति रामगोटिया निवासी 1282/100A को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 1282/100A मु.नं. 221/116 कुल 0.50.6 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काशत करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काशतशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10/100 गुणा राशि 400 शक्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 1282/100A को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.2.18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 44 को क्रम सं. 9 दिनांक 25.3.18 को 400 दर्ज किया गया।

100/100

| | | |
|--------|---------|---------|
| दिनांक | 20-2-18 | 20-2-18 |
| वर्ष | 1975 | 1975 |
| वर्ष | 1975 | 1975 |
| वर्ष | 1975 | 1975 |